लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री अनिल सालवी पिता भगवान लाल सालवी निवासी जालमपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़

बनाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 79 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/07/21	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अनिल सालवी पिता भगवान लाल सालवी निवासी जालमपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 03.03.2021 को बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया जिस पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), चित्तौड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी आंगनवाड़ी केन्द्र से संबंधित है जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग का विषय है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (तारा चन्द मीणा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official